रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112024-259033
CG-DL-E-29112024-259033

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 680] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2024/अग्रहायण 8, 1946
No. 680] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2024/ AGRAHAYANA 8, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2024

आय-कर

सा.का.नि. 739(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 92गख की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये 1 अप्रैल 2024 से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

2. आयकर नियम, 1962 में, –

(क) नियम 10नघ के उपनियम (3ख) में, "निर्धारण वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "निर्धारण वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से,-

(i) नियम 10तजघ के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

'घगक - "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट आय के लिए सुरक्षित संश्रय नियम

परिभाषाएं —.10नझ. इस नियम और नियम 10नझक से नियम 10नझग के प्रयोजनों के लिए,-

(ए) "पात्र निर्धारिती" से हीरा खनन के कारोबार में लगी विदेशी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने नियम 10नझक के अनुसार सुरक्षित संश्रय नियमों के लागू होने के लिए एक विकल्प का प्रयोग किया है ;

(ख) "पात्र कारबार" से किसी भी अधिसूचित विशेष क्षेत्र में अपरिष्कृत हीरे बेचने का कारबार, जैसा कि धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ङ) में निर्दिष्ट है ;

(ग) "सकल प्राप्तियां" से निम्नलिखित का योग अभिप्रेत है—

(i) ऐसे पात्र निर्धारिती द्वारा अपरिष्कृत हीरे की बिक्री के कारण पात्र निर्धारिती या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को संदत या संदेय रकम; तथा

(ii) ऐसे पात्र निर्धारिती द्वारा अपरिष्कृत हीरे की बिक्री के कारण पात्र निर्धारिती या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त या प्राप्त समझी गई रकम ;

(घ) "सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष" से निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष अभिप्रेत है, जिसमें सुरक्षित संश्रय के विकल्प का प्रयोग किया जाता है;

(ई) "अपरिष्कृत हीरे" से ऐसे हीरे अभिप्रेत हैं, जो,-

(i) बिना काटे या बिना पॉलिश किए हुए है ;

(ii) अवर्गीकृत हीरे ;

(iii) बिना काम किए या केवल चिरे हुए, विदारित या अनगढ़ हीरे ;

(iv) किम्बरली प्रक्रिया द्वारा यथा परिभाषित संघर्ष हीरे नहीं ;

(v) निर्यातक देश में किम्बरली प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा जारी किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणपत्र के साथ हीरे ; और

(vi) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 7102 के अंतर्गत आते हैं।

सुरक्षित संश्रय— 10नझक. (1) आयकर प्राधिकारी नियम 10नझख के अधीन किसी भी सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष में एक पात्र निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए सुरक्षित संश्रय के विकल्प को स्वीकार करेंगे, जहां एक पात्र कारबार से ऐसे निर्धारिती द्वारा घोषित आय उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार है, जब तक कि ऐसे सुरक्षित संश्रय को नियम 10नझख के उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन अवैध घोषित नहीं किया जाता है ।

(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित पात्र कारबार के संबंध में उप-नियम (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियां स्तंभ (2) में यथानिर्दिष्ट होंगी, अर्थात्: -

सारणी

पात्र कारबार	परिस्थितियाँ
(1)	(2)
नियम 10नझ के खंड (ख) में निर्दिष्ट अपरिष्कृत हीरे की बिक्री।	"कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य पात्र कारबार के लाभ और अभिलाभ ऐसे कारबार से सकल प्राप्तियों के 4 प्रतिशत या अधिक होंगे ।

(3) जहां पात्र निर्धारिती ने किसी भी सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष में पात्र कारबार के संबंध में नियम 10नझख के अधीन सुरक्षित संश्रय के विकल्प का प्रयोग किया है और ऐसे विकल्प को उक्त नियम के अधीन अवैध घोषित नहीं किया गया है,-

क) धारा 30 से धारा 38 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय किसी भी कटौती को पहले से ही पूर्ण प्रभाव दिया गया माना जाएगा और उन धाराओं के अधीन कोई और कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी ;

ख) ऐसे कारबार की किसी भी आस्ति के अवलिखित मूल्य की गणना की गई मानी जाएगी मानो पात्र निर्धारिती ने दावा किया था और वास्तव में ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के अवक्षयण के संबंध में कटौती अनुज्ञात की गई थी ;

ग) धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन शेष अवक्षयण का कोई मुजरा या धारा 72 की उपधारा (1) के अग्रेषित हानि ऐसे निर्धारिती को अनुज्ञात नहीं होगी ; और

घ) धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन अन्य कारबार से हानि का मुजरा या धारा 71 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अन्य शीर्ष से मुजरा ऐसे निर्धारिती को ऐसे कारबार के संबंध में "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" के अधीन कर से प्रभार्य आय के लिए अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) धारा 92घ और 92ङ के उपबंध एक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में लागू होंगे, यदि पात्र निर्धारिती पात्र कारबार को करते हुए ऐसा संव्यवहार करता है ।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार" का वही अर्थ होगा जो धारा 92ख में उसका है ।

प्रक्रिया.— 10नझख. (1) सुरक्षित संश्रय के लिए विकल्प का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के लिए धारा 139 के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने से पहले, निर्धारण अधिकारी को सभी प्रकार से पूर्ण प्ररूप संख्यार 3गङचग प्रस्तुत करेगा ।

(2) पात्र कारबार से आय नियम 10नझक के उपनियम (2) के उपबंधों के संबंध में अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अवधारित की जाएगी, जहां निर्धारिती उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन सुरक्षित संश्रय के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है ।

(3) निर्धारण अधिकारी लिखित रूप में एक आदेश द्वारा सुरक्षित संश्रय के विकल्प को अवैध घोषित कर सकेगा, जहां निर्धारिती-

क) गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके सुरक्षित संश्रय का लाभ उठाया है ; या

ख) अपने कारबार से संबंधित तथ्यों को छिपाया है ।

(4) निर्धारण अधिकारी उप-नियम (3) के अधीन सुरक्षित संश्रय के विकल्प को अमान्य घोषित करने से पहले निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा ।

(5) निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को उप-नियम (3) में निर्दिष्ट आदेश की एक प्रति तामील करेगा और अधिनियम के अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

पारस्परिक करार प्रक्रिया लागू नहीं होना.— 10नझग. निर्धारिती एक पात्र कारबार के संबंध में धारा 90 या धारा 90क में यथानिर्दिष्ट दोहरे कराधान से बचने के लिए एक करार के अधीन पारस्परिक समझौते की प्रक्रिया का अवलंब होने का हकदार नहीं होगा, यदि निर्धारिती ने ऐसे कारबार के संबंध में नियम 10नझख के अधीन सुरक्षित संश्रय के विकल्प का प्रयोग किया है और ऐसे विकल्प को उक्त नियम के अधीन अवैध घोषित नहीं किया जाता है ।

(ii) परिशिष्ट-2 में, प्ररूप सं. 3गङचख के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप सं. 3गङचग

[नियम 10नझक का उपनियम (1) देखें]

[ई-प्ररूप]

"कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर के लिए प्रभार्य धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट आय के लिए सुरक्षित संश्रय का चयन करने के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी

.....

महोदय/महोदया,

मैं आयकर नियम, 1962 के नियम 10नझ से 10नझग के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 92गख के अधीन सुरक्षित संश्रय नियमों के चयन का प्रस्ताव करता हूं । इस संबंध में विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

1. साधारण :

(क) निर्धारिती का पूरा नाम :

(ख) स्थायी लेखा संख्या :

(ग) निर्धारिती का पता :

(घ) निर्धारिती के कारबार या क्रियाकलापों की प्रकृति :

(ङ) प्रास्थिति :

(च) निर्धारण वर्ष :

2. पात्र कारबार

क्र.सं.	पात्र कारबार के संबंध में विशिष्टियां	टिप्पणियां
1.	क्या निर्धारिती नियम 10नझ के खंड (क) में निर्दिष्ट एक पात्र निर्धारिती है ?	हाँ/नहीं
2.	क्या निर्धारिती नियम 10नझ के खंड (ख) में निर्दिष्ट अपरिष्कृत हीरे की बिक्री का पात्र कारबार कर रहा है ?	हाँ/नहीं
3.	यदि क्रम सं (1) और (2) पर प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें :	
	(क) पात्र कारबार का विवरण	
	(ख) पात्र कारबार की सकल प्राप्तियाँ	
	(ग) उपर्युक्त मद (ख) में निर्दिष्ट सकल प्राप्तियों का 4%	
	(घ) क्या निर्धारिती अपरिष्कृत हीरों की बिक्री के पात्र कारबार से भिन्न कोई अन्य कारबार कर रहा है	
	(ङ) यदि ऊपर निर्दिष्ट मद (घ) का उत्तर हां है, तो ऐसे अन्य कारबार (कारबारों) का विवरण	
	(च) "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य ऐसे अन्य कारबार के लाभ	

मैं घोषणा करता हूं कि यहां दी गई जानकारी सही है और सत्य कथित है ।

स्थान : ……..

तारीख : ……..

भवदीय,

.....

हस्ताक्षर

.....

नाम

.....

पदनाम/हैसियत

.....

पता

टिप्पण – आवेदन को धारा 140 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 124/2024/फा. सं. 370142/13/2024-टीपीएल(पार्ट)]

सौरभ जैन, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन : इन नियमों के नियम 2 के खंड (क) में आयकर नियम, 1962 में किया गया संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी है और पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24 से सुसंगत निर्धारण वर्ष 2024-25 पर लागू होता है । तदनुसार, यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 969 (अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 645(अ) तारीख 16 अक्तूबर, 2024 द्वारा संशोधित किए गए थे ।